कार्यालय सेनानी, हॉक फोर्स पुमु,भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष क्र0–0755–2671361 फैक्स न0 2671701

co-hawkforce@mppolice,gov.in

क्र0 / पुमु / हॉक फोर्स / क्यूएम / डी– 408 / 20, दिनांक– 04 / 08 / 2020

/ / सीमित निविदा आमंत्रण पत्र / /

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 11.1 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पी0सी0एण्ड0आर 4492–32 लघुनिर्माण मद अन्तर्गत हॉक फोर्स, परिसर में स्थित शार्ट रेंज बैरेक में अंडर ग्राउंड फिटिंग एवं पंखे लगाने का कार्य हेतु सीमिति निविदा निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 04.08.20 को समय 16:00 बजे से आंमत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदायें अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष दिनांक 14.08.20 को समय 16:00 बजे खोलने की कार्यवाही की जावेगी। अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

क0	कार्य का नाम (स्पेसिफिकेशन)	कार्य की राशि GST सहित	धरोहर राशि	कार्य की अवधि	प्रदाय कार्यालय (एफ.ओ.आर.)
1	हॉक फोर्स परिसर स्थित शार्ट रेंज बैरेक में अंडर ग्राउंड बिजली फिटिंग एवं पंखे लगाने का कार्य	1,72,529	8,626	15 दिवस	कार्यालय सेनानी, हॉक फोर्स, पुमु, भोपाल
	कुल योग–	**1,72,529**	8,626		

<u>सीमित निविदा की शर्ते:–</u>

1– म0प्र0पु0हाउ0कार्पो0 भोपाल द्वारा तैयार किये गये एस्टीमेट अनुसार कार्य किया जाना हैं, जिसमें MPPWD Electrical SOR 2014 लागू होगा। उक्त कार्य के एस्टिमेट हॉक फोर्स, कार्यालय भोपाल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

2– ठेकेदार को संबंधित अधिकारी / इकाई की कमेटी द्वारा दिये गये Make/brand के अनुसार ही कार्य करना अनिवार्य होगा। अधिकारी / इकाई की कमेटी द्वारा कार्य की गुणवत्ता हेतु NABL लेब से मटेरियल भी टेस्ट कराया जा सकता है। टेस्टिंग में होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा व्यय किया जायेगा।

3– कुल कार्यो का 5 प्रतिशत धरोहर राशि 01 वर्ष के लिए जमा करवाना अनिवार्य होगा।

4– निविदाकारों को निम्नानुसार दस्तावेज कार्यालय में दिनांक 04.08.20 से दिनांक13.08.20 तक प्रस्तुत करना होगा।
(अ) आयकर चुकता प्रमाण पत्र–अथवा पेन नम्बर।
(ब) फर्म के प्रकरणों में फर्म का रजिस्ट्रेशन तथा पॉवर ऑफ अटर्नी।
(स) गत तीन वर्षो में पूर्ण किये गये कार्यो की सूची।
(द) म0प्र0 का वाणिज्य कर अधिनियम के अर्न्तगत पंजीयन होने का प्रमाण पत्र, टिन नं0 एवं जीएसटी नं0

5– भारत सरकार / अन्य राज्य सरकार / भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित स्वायत्व संस्थान / मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

6– ठेकेदारों को प्रचलित प्रस्तावित कानूनों तथा भविष्य निधि संबंधी प्रावधानों का पालन करने का दायित्व होगा।

7– प्रदाय आदेश के 03 दिवस के अन्दर धरोहर राशि, शिड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 के रूप में सेनानी हॉक फोर्स, भोपाल के पक्ष में स्वीकार की जावेगी।

8– निविदाकार को प्रमाण पत्र लिखकर देना होगा कि निविदाकार का नाम किसी भी विभाग में काली सूची मे नाम दर्ज नही है।

9— मॉगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होंगे।

10— जिन निविदाकारों का कोई भी अनुबंध इस निविदा दिनांक से पिछले पॉच वर्षो में दाण्डिक प्रावधान के अंतर्गत समाप्त किया गया है ऐसे निविदाकार अनुबंध समाप्ति दिनांक से आगामी 03 वर्ष तक निविदा में भाग नही ले सकेगें।

11— यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्राप्ति/खोलने के दिवस शासकीय अवकाश होता हैं तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जावेगी।

12— सीमिति निविदा प्रस्तुत हेतु तीन से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्राप्त होना आवश्यक हैं।

13— निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि को निविदाकर्ता के समक्ष तकनीकी समिति द्वारा खोली जायेगी। उपस्थिति अनिर्वाय हैं।

14— निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। एवं लिफाफे के उपर बडे अक्षरों में सीमिति निविदा क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखें।

15— निविदा की दरें निविदा खोलने की दिनांक से 30 दिवस तक वैध रहेगी।

16— प्रदाय अवधि का विस्तार एक ही बार किया जावेगा जो अधिकतम 07 दिवस होगी। यदि निर्धारित कार्य अवधि/विस्तारित अवधि में भी संपूर्ण कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो शेष कार्य का कार्यादेश निरस्त माना जावेगा। कार्य आदेश के भुगतान में से अपूर्ण कार्य के मूल्य की 02 प्रतिशत पेनाल्टी कार्य की देयक से काटी जायेगी।

17— निविदाकर्ता ई. पी. एफ. पंजीयन रिटर्न की छायाप्रति एवं प्रतिष्ठान का पंजीयन क्रमांक दुकान स्थापना अधिनियम के तहत् प्रमाण—पत्र अद्यतन होना आवश्यक हैं।

18— देयक 03 प्रतियों में सेनानी, हॉक फोर्स, पुमु, भोपाल के नाम से भेजें जावें।

19— देयक की राशि का भुगतान हेतु फर्म का खाता क्रमांक,बैंक का नाम, आईएफएससी कोड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जावें।

20— विभाग द्वारा किसी प्रकार का भाड़ा वहन नही किया जायेगा।

21— कार्य पूर्ण होने पर ही देयकों का भुगतान म0प्र0शासन के आदेशों के अन्तर्गत किया जावेगा।

22— उपरोक्त समस्त शर्तो में संशय/विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर सेनानी, हॉक फोर्स, पुमु, का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(सचिन कुमार अतुलकर)भापुसे
सेनानी
हॉक फोर्स, पुमु, भोपाल